

जडी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान,
मण्डल-गोपेश्वर (चमोली)
उत्तराखण्ड

निविदा प्रपत्र

कार्य का नाम:- जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान हेतु

Rent Base पर 24 सीटर बस की व्यवस्था।

निविदा मूल्य-500.00 मात्र।

कार्यालय:- जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल-गोपेश्वर चमोली, उत्तराखण्ड।

किराये पर वाहन लेने हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना

1. निविदा प्रपत्र का मूल्य:- रू0 500.00
2. निविदा प्राप्त होने की तिथि एवं समय:- दिनांक 10 अप्रैल 2018 अपरान्ह 2:00 बजे
3. निविदा खुलने की तिथि एवं समय:- दिनांक 10 अप्रैल 2018 अपरान्ह 3:00 बजे
4. धरोहर धनराशि (वार्षिक दर का 4 प्रतिशत) :- डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/
एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 का रूप में

एतद्वारा, सूचित किया जाता है कि जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल, गोपेश्वर, चमोली के अधिकारी/कर्मचारियों के गोपेश्वर से संस्थान परिसर मण्डल तक आने-जाने हेतु मासिक किराये पर अनुबन्ध के आधार पर मेक मॉडल 2016/2017/2018 की (नवीनतम मॉडल को प्राथमिकता दी जायेगी) 24 सीटर 6 टायर युक्त वाली बस की आवश्यकता है, इच्छुक वाहन स्वामी/फर्म निविदा का प्रपत्र रू0 500/- के भुगतान करने पर जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान मण्डल गोपेश्वर, चमोली के कार्यालय से विज्ञप्ति प्रकाशन से 10 अप्रैल, 2018 तक किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त कर सकते हैं, अथवा संस्थान की website: www.hrduik.org से भी download कर सकते हैं, जिसके साथ रू0 500.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट जोकि निदेशक, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान के पक्ष में हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदायें सील बन्द लिफाफे (02 लिफाफे प्रणाली तकनीकी एवं वित्तीय विड अलग-अलग) में दिनांक 10 अप्रैल 2018 को सायं 02 बजे तक निविदा बॉक्स में डाली जायेगी तथा उसी दिन सायं 3.00 बजे कार्यालय द्वारा गठित समिति के सम्मुख खोली जायेगी। विस्तृत नियम व शर्तें निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध होगी। अधोहस्ताक्षरी को एक या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

निदेशक

जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान
मण्डल, गोपेश्वर, चमोली

तकनीकी निविदा (Technical Bids) के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रः—

1. वाहन का व्यवसायिक उपयोग किये जाने का परमिट सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के लिए तथा वाहन का बीमा निविदा मांगे जाने की तिथि से कम से कम एक वर्ष के लिए वैध होना चाहिए, जिसकी पुष्टि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. वाहन चालाक के पास मैदानी व पहाडी क्षेत्र में वाहन चलाने का H.M.V. ड्राइविंग लाइसेन्स होना चाहिए, जिसकी वैधता निविदा मांगे जाने की तिथि से कम से कम एक वर्ष तक हो, पुष्टि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेन्स की छाया प्रति किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
3. Motor Vehicle Act के अन्तर्गत वाहन का उपयोग किसी गैर कानूनी कार्य में न किया गया हो, इस आशय का शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।
4. वाहन चालक की ओर से नोटरी द्वारा सत्यापित इस आशय का शपथ पत्र कि उसका ड्राइविंग लाइसेन्स सभी आरोपों से मुक्त है तथा भारतीय दण्ड संहिता की किसी भी संगीन धारा के अन्तर्गत उसके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध पंजीकृत नहीं है।
5. फर्म की दशा में पार्टनरशिप डीड सार्टिफिकेट/पावर ऑफ एटोर्नी अथवा एक मात्र प्रोपराइटर होने की दशा में इस आशय का शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित,।
6. निविदा के साथ संलग्न प्रारूप पर पते का प्रमाण पत्र, प्रपत्रों की संख्या का प्रमाण-पत्र, प्रपत्रों का वास्तविक होने का प्रमाण-पत्र तथा निविदादाता का सत्यापित फोटो का प्रामणा-पत्र।
7. किसी राज्य/केन्द्र सरकार अथवा अन्य किसी शासकीय प्रतिष्ठान द्वारा निविदा प्रक्रिया/किसी कार्य की शर्तों का अनुपालन न करने के दोष में ब्लैक लिस्ट अथवा भारतीय दण्ड संहिता की किसी भी संगीन धारा में दण्डित न होने का शपथ-पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. निविदा की वैधता शर्तों के लिए रु0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर रु0 1.00 का, हस्ताक्षर किया हुआ रसीदी टिकट तदसम्बन्धी घोषणा संलग्न करना होगा।
9. रुपया 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर रु0 1.00 का, हस्ताक्षर किया हुआ रसीदी टिकट लगाकर निविदा की वैधता शर्तों के साथ संलग्न करना होगा।
10. फर्म की दशा में अद्यतन आयकर का पंजीयन प्रमाण पत्र।

वित्तीय निविदा (Finance Bids) के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रः—

1. Price Bid/मूल्य सारणी (सूची) (मूल्य प्रस्तुत/इंगित करने के प्रयोगार्थ)।
2. अग्रिम धनराशि (अर्नेस्टमनी) रु0..... दिनांक का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 मूल रूप में।

निविदा की शर्तें :

1. वाहन 24 सीटर बस होना चाहिए अन्य बातों के समान होने पर TOP MODLE को वरीयता दी जायेगी।
2. (क) वाहन का मॉडल **01 जनवरी, 2016** से पूर्व का न हो, पुष्टि में वाहन की **आर0 सी0** की छाया प्रति किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित संलग्न करना होगा। अन्य बातों के समान होने पर कम प्रयुक्त की गई वाहन को प्राथमिकता दी जायेगी। वाहन के प्रयुक्त होने का मानक किमी0 होगा।
(ख) निविदादाता जिसे निविदा स्वीकार होने के उपरान्त अनुबन्ध में सेवादाता कहा जायेगा, को लिखित सूचना देते हुए विभाग के समक्ष प्राधिकारी की अनुमति पर निविदा/अनुबन्ध की सभी शर्तों के अधीन अनुबन्धित अवधि में वाहन तथा वाहन चालक को बदलने का अधिकार होगा।
3. वाहन का व्यवसायिक उपयोग किये जाने का परमिट सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के लिये तथा वाहन का बीमा निविदा मांगे जाने की तिथि से कम से कम **एक वर्ष के लिये वैध** होना चाहिए जिसकी पुष्टि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. वाहन चालक के पास मैदानी व पहाड़ी क्षेत्र में वाहन चलाने का **H.M.V. ड्राइविंग लाइसेन्स** होना चाहिए जिसकी वैधता निविदा मॉगें जाने की तिथि से कम से कम **एक वर्ष** तक हो, पुष्टि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेन्स की प्रति प्रस्तुत करना होगा।
5. **Motor Vehicle Act** के अन्तर्गत वाहन का उपयोग किसी **गैर कानूनी कार्य** में न किया गया हो, इस आशय का शपथ पत्र **नोटरी द्वारा सत्यापित** कर प्रस्तुत करना होगा।
6. वाहन चालक की ओर से **नोटरी द्वारा सत्यापित** इस आशय का शपथ पत्र कि उसका **ड्राइविंग लाइसेन्स सभी आरोपों से मुक्त है** तथा भारतीय दण्ड संहिता की किसी भी संगीन धारा के अन्तर्गत उसके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध पंजीकृत नहीं है।
7. फर्म की दशा में अद्यतन आयकर व व्यापार कर का पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
8. एकमात्र प्रोपराइटर की दशा में अद्यतन आयकर का पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
9. फर्म की दशा में पार्टनरशिप डीड सार्टिफिकेट/पावर ऑफ एटोर्नी अथवा एक मात्र प्रोपराइटर होने की दशा में इस आशय का शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित, प्रस्तुत करना होगा।
10. निविदा के साथ संलग्न प्रारूप पते का प्रमाण-पत्र, प्रपत्रों की संख्या का प्रमाण-पत्र, प्रपत्रों का वास्तविक होने का प्रमाण-पत्र, तथा निविदादाता तथा वाहन चालक का सत्यापित फोटो का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
11. किसी राज्य/केन्द्र सरकार अथवा अन्य किसी शासकीय प्रतिष्ठान द्वारा निविदा प्रक्रिया/किसी कार्य की शर्तों का अनुपालन न करने के दोष में **ब्लैक लिस्ट अथवा भारतीय दण्ड संहिता की किसी भी संगीन धारा में दण्डित न होने का शपथ-पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित**, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. रुपया 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर रु0 1.00 का, हस्ताक्षर किया हुआ रसीदी टिकट लगाकर **निविदा की वैधता शर्तों** के साथ संलग्न करना होगा।
13. निदेशक जडी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान को किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा।
14. सशर्त, अपूर्ण एवं निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
15. निविदादाता निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर इसके साथ दी गयी शर्तों को हस्ताक्षरित करेगा और अपना/अपनी फर्म का नाम व पता स्पष्ट रूप से अंकित करेगा।
16. निविदा के साथ **अग्रिम धरोहर राशि (अर्नेस्टमनी)** किसी राष्ट्रीयकृत बैंक **डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ एफडीआर/एनएससी** के रूप में जोकि **निदेशक, जडी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल-गोपेश्वर (चमोली)** के नाम बन्धक हो तथा कम से कम आगामी 3 माह के लिये वैध हो तथा जो गोपेश्वर स्थित किसी बैंक शाखा में भुगतान योग्य हो, वित्तीय निविदा के साथ संलग्न करना होगा, अन्य के रूप में तथा जिसका भुगतान गोपेश्वर में प्राप्त करना संभव न हो स्वीकार्य नहीं है, प्रस्तुत ऐसे अपूर्ण निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
17. वाहन के किराये की दर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये प्रतिमाह की दर से Price Bid के निर्धारित प्रपत्र, जो भाग-ग से निर्दिष्ट है, में यथास्थान शब्दों व अंकों में स्पष्ट अंकित की जाय।
18. Rent Base पर वाहन की व्यवस्था के ठेके के सम्बन्ध में **वाहन का अनुरक्षण, चालक का मानदेय Motor Vehicle Act के अन्तर्गत समस्त Tax निविदादाता को यथासमय जमा करने होंगे** तथा वाहन को कार्यशील स्थिति में एवं सभी देनदारियों से मुक्त रखते हुए उपलब्ध कराना होगा। विभाग इस सम्बन्ध में किसी भी मॉग को स्वीकार नहीं करेगा।
19. **वाहन का उपयोग मय चालक राजकीय कार्य में आवश्यकता पड़ने पर 7x24 घण्टे में किसी भी समय किया जा सकता है।** इसके लिये वाहन को संस्थान परिसर में ही खड़ा करना होगा।
20. निविदादाता को वाहन के खराब होने अथवा चालक के अस्वस्थ होने की स्थिति में तत्काल दूसरा **वाहन/चालक उपरिलिखित शर्तों के अधीन उपलब्ध कराना** होगा। असमर्थता की दशा में भुगतान से यथोचित धनराशि बतौर हर्जाने काटी जा सकती है, जिसका निर्धारण अनुबन्ध में दोनों पक्षों के आपसी सहमति से किया जायेगा।
21. Rent Base पर वाहन की व्यवस्था हेतु **दरें पी0ओ0एल0 सहित एवं बिना पी0ओ0एल0 के प्रतिमाह** के लिये आमंत्रित की गयी है, तदनुसार ही दरें अंकों व शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित की जाय।

22. निविदा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये आमंत्रित है, किन्तु कार्य असंतोषजनक होने पर इसकी अनुबन्ध अवधि को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, तथा राजकीय व जनहित में खुले बाजार से वाहन अनुबन्धित कर दिया जायेगा इस कारण हुई हानि की प्रतिपूर्ति अनुबन्ध में असफल पक्षकार जिसे अनुबन्ध में सेवादाता कहा जायेगा से की जायेगी। ग्राहक विभाग इस हानि की प्रतिपूर्ति सेवादाता के चल-अचल सम्पत्ति से करने को स्वतंत्र होगा।
23. कार्यक्षेत्र में कार्य करते हुये यदि कोई दुर्घटना होती है, तो किसी भी मानवीय क्षति अथवा वाहन क्षति के प्रतिपूर्ति का दावा विभाग स्वीकार नहीं करेगा। यह निविदादाता का स्वयं का व्यय व जोखिम होगा।
24. निविदादाता जिसे निविदा स्वीकार होने के उपरान्त अनुबन्ध में सेवादाता कहा जायेगा, के बिलों का भुगतान करते समय नियमानुसार आयकर/व्यापार कर एवं अन्य अनुमन्य कर जो भी देय हो का उस समय की प्रभावी दरों पर कटौती की जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि संप्रेशा से किसी प्रकार की कटौती के आदेश प्राप्त होते हैं, तो सेवादाता की जमानत की राशि से वसूली की जाएगी।
25. Rent Base पर वाहन की व्यवस्था हेतु दरें पी0ओ0एल0 सहित एवं बिना पी0ओ0एल0 के प्रतिमाह के लिये आमंत्रित की गयी है, तदनुसार ही दरें अंकों व शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित की जाय, किसी भी प्रकार की ओवर राईटिंग मान्य नहीं है, तथा निविदा दरों में यदि अंको और शब्दों में भिन्नता में शब्दों में लिखित दरें मान्य होंगी।
26. निविदादाता की निविदा स्वीकार होने के उपरान्त अनुबन्धित वाहन से विभागीय उपयोग राजकीय हित में हो ऐसा सुनिश्चित करने की दृष्टि से वाहन के दोनो ओर "जडी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान मण्डल-गोपेश्वर द्वारा अनुबन्धित" लिखवाना अनिवार्य होगा।
27. वाहन में साफ-सफाई के साथ ही वाहन शीट, शीट कवर इत्यादि साफ एवं स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी।
28. निविदा स्वीकार किये जाने के उपरान्त अनुबन्धित वाहन में प्रस्तर-26 में उल्लिखित, वाहन की विभाग का नाम लिखवाने के उपरान्त अनुबन्धित अवधि तक विभाग के सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की छेडछाड़ नहीं की जायेगी ऐसा करना अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा और प्रस्तर-22 में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। वाहन पर विभाग का नाम लिखवाने के कारण किसी भी क्षति का दावा भी स्वीकार नहीं किया जायेगा।
29. (क) अनुबन्धित अवधि में निविदादाता द्वारा निविदा के मूल्य सारणी (सूची) (मूल्य प्रस्तुत/इंगित करने के प्रयोगार्थ)/Price Bid में दिये गये वाहन के औसत में कोई भी विचलन स्वीकार नहीं होगा।
(ख) निविदादाता को निविदा में भाग लेने के लिये किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा और नहीं किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा स्वीकार होगा।
30. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जायेगी उसे कुल वार्षिक कार्य की लागत के 10 प्रतिशत धनराशि जमानत राशि के रूप में, 7 दिन के अन्दर अथवा निविदा स्वीकार पत्र में निर्धारित तिथि तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 जो गोपेश्वर स्थित किसी बैंक शाखा में भुगतान योग्य हो कम से कम आगामी एक वर्ष के लिये वैध हो तथा जो निदेशक, जडी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल-गोपेश्वर, चमोली के पक्ष में बन्धक हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित सीमा के अन्तर्गत अनुबन्ध गठित न करने अथवा निविदा की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध संपादित न करने पर अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी।
31. निविदा के सम्बन्ध में पक्ष समर्थन करने का कड़ा निषेध है, ऐसे निविदादाता की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
32. निविदा के समय मूल प्रमाण-पत्र भी साथ लाने होंगे, और माँगे जाने पर तद्समय ही प्रस्तुत करने होंगे।
33. निविदा के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रचार जिससे निविदा की प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अयोग्य घोषित करने के लिये पर्याप्त होगा।
34. निविदादाता जिसे निविदा स्वीकार होने के उपरान्त अनुबन्ध में सेवादाता कहा जायेगा, के मध्य इस अनुबन्ध के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का विवाद होने पर इसके निराकरण हेतु निदेशक, जडी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल-गोपेश्वर, चमोली मध्यस्थ होंगे, उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। इस अनुबन्ध के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद किसी भी न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा, वह मात्र उक्त मध्यस्थता से समाधान किया जायेगा।

35. यदि निविदादाता जिसे निविदा स्वीकार होने के उपरान्त अनुबन्ध में सेवादाता कहा जायेगा कार्य करने में अक्षम रहता है, अथवा **MoU/अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसकी जमानत धनराशि जब्त** कर ली जायेगी, और उसका **अनुबन्ध निरस्त** किया जाएगा, और वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाएगी। इसके कारण हुए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति सेवादाता से की जाएगी। निदेशक, जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल-गोपेश्वर, चमोली निविदादाता के किसी भी स्रोत चल अथवा अचल सम्पत्ति से इसकी प्रतिपूर्ति करने को स्वतंत्र होंगे। जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल-गोपेश्वर, चमोली का निर्णय इस सम्बन्ध में अंतिम होगा।
36. निविदा स्वीकार होने पर उपरोक्त सभी शर्तें तथा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समझौता ज्ञापन MoU /अनुबन्ध में उल्लिखित शर्तों का एक भाग हो जायेगी।
37. यदि वित्तीय वर्ष के मध्य में राज्य स्तर से वाहन के अनुबन्ध की शर्तों में कोई बदलाव या दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं तो वह तुरन्त लागू कर दिया जायेगा जो कि वाहन स्वामी को मान्य होगा।

निदेशक,

जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान,
मण्डल-गोपेश्वर (चमोली)

मैंने/हमने उपरोक्त सभी शर्तों को भली-भाँति पढ़ लिया है, और मैं/हम इनका अनुपालन करने हेतु सहमत हूँ/हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

खण्ड-(ग)-Price Bid/मूल्य सारणी (सूची) (मूल्य प्रस्तुत/इंगित करने के प्रयोगार्थ)

PROFORMA FOR PRICE SCHEDULE

कार्य का नाम:- गोपेश्वर से संस्थान मुख्यालय मण्डल तक कर्मचारियों के आवागमन हेतु Rent Base पर 24 सीटर बस की व्यवस्था।

मैं/हम इसके द्वारा जडी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान मण्डल-गोपेश्वर (चमोली) हेतु गोपेश्वर से संस्थान मुख्यालय मण्डल तक कर्मचारियों के आवागमन हेतु Rent Base पर 24 सीटर बस की व्यवस्था करने के लिए निविदा निस्पादित करता हूँ/करत हूँ।

मैंने/हमने कार्य की लागत का 4% (चार प्रतिशत) की धनराशि रु0..... मात्र, दिनांक जो कि निदेशक, जडी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल-गोपेश्वर के नाम देय है, डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में संलग्न किया है।

मैं/हम निविदा स्वीकार कर लिए जाने पर निदेशक, जडी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल-गोपेश्वर द्वारा उनके बुलाए जाने पर उनके द्वारा अनुबन्ध हेतु निर्धारित तिथि तक यदि कार्य/प्रारूप को संविदा/अनुबन्ध को हस्ताक्षर/निस्पादित करने में असमर्थ रहता हूँ/रहते हूँ/हैं, जिसका कि मैंने/हमने निविदा में आहूत सूचना में विनिर्दिष्ट समय में भीतर निरीक्षण किया था तो मेरे/हमारे द्वारा अग्रिम धन को उत्तराखण्ड के राज्यपाल की ओर से निदेशक, जडी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल-गोपेश्वर जब्त कर लेंगे।

मैं/हम उक्त कार्य के लिए निम्नानुसार दरें प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं:-

क्रं0 सं0	वाहन (सीट)	मॉडल	डीजल/पैट्रोल	वाहन का औसत प्रति लीटर (किमी0 में)	दरें प्रतिमाह (रु0 में) POL सहित	दरें प्रतिमाह (रु0 में) बिना POL के	अन्य विवरण

निविदादाता का हस्ताक्षर

नाम-

पता-

फोन नं0-

स्वयं के पते का प्रमाण पत्र

संविदा अवधि में मेरा पता निम्नानुसार रहेगा, तथा इस पते पर भेजे गये समस्त पत्र चाहे मुझे प्राप्त हुए हो चाहे न प्राप्त हुए हो मेरे लिए बाध्यकारी होंगे।

पता:—

निविदादाता का हस्ताक्षर

नाम—

पता—

फोन नं०—

प्रपत्रों के वास्तविक होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि अर्नेस्टमनी (अग्रिम धनराशि) को छोड़कर मेरे द्वारा कुल..... पन्नों के अर्हताओं के प्रपत्र लगाये गये हैं, जो कि वास्तविक है। कोई भी प्रपत्र किसी भी स्तर पर असत्य पयो जाने पर निविदा शर्तों के अनुसार की गयी कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी।

दिनांक.....

निविदादाता का हस्ताक्षर

नाम—

पता—


फोन नं०—

निविदादाता का सत्यापित फोटो, फोटो हेतु फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....पुत्र श्री.....

निवासी.....

को मैं भली-भाँति जानता हूँ, तदनुसार इनके हस्ताक्षर व फोटो अंकित विवरण के अनुसार सत्यापित किये जाते हैं।



श्री.....के

हस्ताक्षर सत्यापित

अधिकारी के हस्ताक्षर.....

नाम व पद नाम मुहर सहित

“शपथ पत्र”

(वाहन चालक के लिए प्रयुक्त करें)

मैं कि शपथकर्ता.....उम्र.....साल पुत्र.....
.....ग्राम.....पो0ओ0.....पटवारी वृत्त/थाना
.....तहसील.....जिला.....वाला ईश्वर को साक्षी कर निम्न शपथ
पत्र प्रस्तुत करता हूँ:-

1. यह कि शपथकर्ता उपरोक्त पते का निवासी है जो सही व सत्य है।
2. यह कि शपथकर्ता वाहन स्वामी का नाम.....पता.....
.....के वाहन संख्या.....पर चालक के रूप में कार्यरत है।
3. यह कि शपथकर्ता पहाड़ी/मैदानी क्षेत्र में वाहन चलाने का व्यावसायिक लाइसेन्सधारी चालक है, जिसका रजिस्ट्रेशन नं0.....दिनांक.....तथा वैधता अवधि दिनांकतक है।
4. यह कि शपथकर्ता का ड्राइविंग लाइसेन्स मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत सभी प्रकार के आरोपों से मुक्त है।
5. यह कि शपथकर्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का आरोप किसी पटवारी क्षेत्र/थाने में दर्ज नहीं है तथा किसी भी न्यायालय द्वारा उसे दण्डित नहीं किया गया है।

दिनांक

स्थान.....

ह0 शपथकर्ता

मैं कि शपथकर्ता उपरोक्त शपथ पत्र की समस्त इबारत को अपने निजी ज्ञान से सही व सत्य होन सत्यापित करता हूँ, ईश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक

स्थान.....

ह0 शपथकर्ता

“शपथ पत्र”

(वाहन स्वामी के लिए प्रयुक्त करें)

मैं कि शपथकर्ता.....उम्र.....साल
पुत्र ग्राम पो0ओ0
पटवारी वृत्त/थाना तहसील जिला
वाला ईश्वर को साक्षी कर निम्न शपथ पत्र प्रस्तुत करता हूँ:-

1. यह कि शपथकर्ता उपरोक्त पते का निवासी है जो सही व सत्य है।
2. यह कि शपथकर्ता वाहन संख्या..... स्वामी का स्वामी है तथा वाहन का व्यावसायिक उपयोग किये जाने का परमिट सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के लिये वैध है तथा वाहन का पंजीयन संख्या.....व उसकी वैधता अवधि दिनांक.....तक के लिए है।
3. यह कि शपथकर्ता वाहन का व्यावसायिक उपयोग किये जाने के परिपेक्ष्य में उसका बीमा दिनांक.....तक वैध है।
4. यह कि शपथकर्ता का ड्राइविंग लाइसेन्स मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत सभी प्रकार के आरोपों से मुक्त है।
5. यह कि शपथकर्ता का वाहन किसी गैर कानूनी कार्य में संलिप्त नहीं रहा है तथा वाहन स्वामी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का आरोप किसी पटवारी क्षेत्र/थाने में दर्ज नहीं है तथा किसी भी न्यायालय द्वारा उसे दण्डित नहीं किया गया है।
6. यह कि शपथकर्ता को किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार अथवा शासकीय एजेन्सी/प्रतिष्ठान द्वारा Debarred/ Blaclisted/Prosecuted नहीं किया गया है।
7. यह कि शपथकर्ता द्वारा निविदा के साथ प्रस्तुत किये गये सभी प्रमाण पत्र वास्तविक है तथा इसमें किसी भी स्तर पर भिन्नता पाये जाने पर उसके विरुद्ध की जाने वाली वैधानिक कार्यवाही उसे मान्य होगी।

दिनांक

स्थान.....

ह0 शपथकर्ता

मैं कि शपथकर्ता उपरोक्त शपथ पत्र की समस्त इबारत को अपने निजी ज्ञान से सही व सत्य होन सत्यापित करता हूँ, ईश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक

स्थान.....

ह0 शपथकर्ता

समझौता ज्ञापन (MoU)

आज वर्षकेमहीने की.....तारीख को यह समझौता ज्ञापन के रूप में निदेशक, जडी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल-गोपेश्वर (ग्राहक विभाग/संगठन का नाम) के माध्यम से (जिसे यहाँ एतदपश्चात "ग्राहक" कहा गया है) जिसके अन्तर्गत तब तक संदर्भ के प्रतिकूल न हो उसके उत्तरावर्ती भी सम्मिलित है।

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में(सेवादाता का नाम) के माध्यम से (जिसे यहां एतदपश्चात "सेवादाता" कहा गया है) जिसके अन्तर्गत, जब तक संदर्भ के प्रतिकूल न हो उसके उत्तरावर्ती तथा समनूदेशिती भी सम्मिलित हैं।

के बीच निष्पादित किया गया है।

1. यह कि जडी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान मण्डल-गोपेश्वर (चमोली) हेतु गोपेश्वर से संस्थान मुख्यालय मण्डल तक कर्मचारियों के आवागमन हेतु Rent Base पर 24 सीटर बस हेतु रू0..... (रू0.....) प्रतिमाह चालक सहित की व्यवस्था पर सहमति हो गई है जिसके लिए सेवादाता द्वारा ग्राहक के पक्ष में रू0..... (रू0.....) की NSC/DD/CDR/TDR/Bank Gaurantee बतौर Security for the due performance जमा करते हुए बन्धक किया गया है।
2. यह कि वाहन का व्यावसायिक उपयोग किये जाने का परमिट सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के लिए तथा वाहन का बीमा की समुचित राशि की अदायगी (सभी मामलों में 100%) यथासमय करते हुए समझौते की वैध अवधि तक सभी प्रकार की देनदारियों से मुक्त रखते हुए वाहन उपलब्ध कराना होगा।
3. यह कि वाहन चालक के पास मैदानी व पहाड़ी क्षेत्र में वाहन चालने का H.M.V. ड्राइविंग लाइसेन्स समझौते की वैध अवधि तक सभी प्रकार देनदारियों से मुक्त रखना होगा।
4. यह कि Motor Vehicle Act के अन्तर्गत वाहन का उपयोग समझौते चलाने की वैध अवधि तक किसी गैरकानूनी कार्य में नहीं किया जायेगा ऐसा पाये जाने पर अनुबन्ध स्वतः ही समाप्त माना जायेगा तथा इस कारण की जाने वाली वैकल्पिक व्यवस्था की प्रतिपूर्ति की समुचित धनराशि की अदायगी सेवादाना को करनी होगी। ग्राहक इस समझौते के मध्य सेवादाता की Security Money अथवा चल-अचल सम्पत्ति से इसकी अदायगी पाने के लिए स्वंत्रत होगा।
5. यह कि सेवादाता को वाहन की व्यवस्था के सम्बन्ध में वाहन का अनुरक्षण चालक का मानदेय के Motor Vehicle Act अन्तर्गत समस्त Tax की अदायगी यथा समय करते हुए ग्राहक को उसकी आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना होगा।
6. यह कि प्रस्तर-1 में उल्लिखित दर की सीमा के अन्तर्गत प्रतिमाह पर है, किन्तु ग्राहक प्राकृतिक आपदा तथा असामान्य परिस्थिति में वाहन का उपयोग सीमा के बाहर करने पर ग्राहक को अतिरिक्त पी0ओ0एल0 की अदायगी ईंधन खपत की औसत के आधार पर सेवादाता को करना होगा।
7. यह कि वाहन की व्यवस्था का समझौता उपरोक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित कार्य हेतु है, यद्यपि इस समझौता के अन्तर्गत सेवादाता को समझौते की अवधि तक वाहन को मय चालक, पी0ओ0एल0 सहित चालू हालत में उपलब्ध कराना है तथापि वाहन में कोई Machnical Defect आने पर अथवा चालक के अस्वस्थ होने की स्थिति में अथवा अन्य किसी भी असामान्य परिस्थिति में सेवादाता को अपने जोखिम पर ग्राहक को दूसरा वाहन तत्काल उपलब्ध कराना होगा, असमर्थता की दशा में भुगतान से परिवहन विभाग द्वारा तत्समय प्रभावी निर्धारित दर से यथोचित धनराशि बतौर हर्जाने Security Money अथवा भुगतान से जैसी भी स्थिति हो से काटी जा सकेगी।
8. वाहन का उपयोग मय चालक राजकीय कार्य में आवश्यकता पडने पर 7X24 घन्टे में किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिए वाहन को संस्थान परिसर मण्डल में ही खडा करना होगा।
9. यह कि समझौते के मध्य वाहन अथवा चालक को दुर्घटना अथवा चोट लगने पर अथवा हानि होने की उसकी समुचित प्रतिपूर्ति सेवादाता की होगी।
10. यह कि इस समझौते के मध्य सेवादाता के भुगतान से यथोचित धनराशि बतौर TDS के रूप में प्रभावी दरों पर कटौती की जा सकेगी।

11. यह कि समझौता जडी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान मण्डल-गोपेश्वर (चमोली) हेतु गोपेश्वर से संस्थान मुख्यालय मण्डल तक कर्मचारियों के आवागमन/अन्य शासकीय कार्यों हेतु Rent Base पर 24 सीटर बस के उद्देश्य से चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 (एक वर्ष) के लिए सम्पादित किया जा रहा है।

किन्तु

कार्य असन्तोषजनक होने पर इसकी अनुबन्ध अवधि को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है तथा राजकीय व जनहित में खुले बाजार से वाहन अनुबन्धित कर दिया जायेगा इस कारण हुई हानि की प्रतिपूर्ति अनुबन्ध में असफल पक्षकार जिसे अनुबन्ध में सेवादाता कहा जायेगा से की जायेगी। ग्राहक विभाग इस हानि की प्रतिपूर्ति सेवादाता के चल-अचल सम्पत्ति से करने को स्वंत्रत होगा।

परन्तु

यद्यपि य समझौता वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सम्पादित किया जा रहा है जो कि दिनांक को समाप्त हो जायेगा तथापि प्राकृतिक आपदा तथा असामान्य परिस्थिति को छोड़कर ग्राहक जैसी भी स्थिति हो की अवधि में इस समझौते को निलम्बित रख सकेगा।

12. यह कि समझौता के अन्तर्गत वाहन का उपयोग गोपेश्वर से संस्थान मुख्यालय मण्डल तक कर्मचारियों के आवागमन हेतु किन्तु आवश्यकतानुसार राजकीय कार्यों के सम्पादन हेतु वाहन को परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के चलाने हेतु अनुमोदित मोटर मार्ग पर ही चलाया जायेगा।
13. यह कि समझौता वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए है, किन्तु कार्य असन्तोषजनक होने पर इसकी अनुबन्ध अवधि को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है तथा राजकीय व जनहित में खुले बाजार से वाहन अनुबन्धित कर दिया जायेगा इस कारण हुई हानि की प्रतिपूर्ति अनुबन्ध में असफल पक्षकार जिसे अनुबन्ध में सेवादाता कहा जायेगा से की जायेगी। ग्राहक विभाग इस हानि की प्रतिपूर्ति सेवादाता के चल-अचल सम्पत्ति से करने को स्वंत्रत होगा।
14. अनुबन्धित वाहन में दोनो ओर "जडी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान मण्डल-गोपेश्वर द्वारा अनुबन्धित" लिखवाना अथवा स्टीकर चशपा किया जाना आवश्यक होगा।
15. अनुबन्धित वाहन के प्रस्तर 14 में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत किसी भी क्षति का दावा भी स्वीकार नहीं किया जायेगा।
16. यह कि अनुबन्ध अवधि में सेवादाता को अधिकार होगा कि वह लिखित सूचना देते हुये विभाग के सक्षम प्राधिकारी की अनुमति पर अनुबन्ध की सभी शर्तों के अधीन अनुबन्धित अवधि में वाहन तथा वाहन चालक को बदल सकेगा।
17. यदि अनुबन्ध अवधि के मध्य में राज्य स्तर से वाहन के अनुबन्ध की शर्तों में कोई बदलाव या दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं तो वह तुरन्त लागू कर दिया जायेगा जो कि वाहन स्वामी को मान्य होगा।
18. वाहन में साफ-सफाई के साथ ही वाहन शीट, शीट कवर इत्यादि साफ एवं स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी।
19. यदि इस समझौते के मध्य कोई विवाद होता है तो उस विवाद का निवारण निदेशक, जडी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान द्वारा किया जायेगा तथा निदेशक का निर्णय सेवादाता को मान्य होगा।

ग्राहक के लिए और उसकी ओर से

सेवादाता के लिए और उसकी ओर से

हस्ताक्षर:-

हस्ताक्षर:-

नाम:-

नाम:-

पदनाम:-

पता:-

साक्षी:-

साक्षी:-

1.

1.

2.

2.